फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

डीजी परिपत्र संख्या - 44 /2015

अरविन्द कुमार जैन
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जून 15,2015

विषय : हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती व अन्य जघन्य अपराधों में विवेचनाओं के गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

आप अवगत है कि वर्तमान समय में अपराधों की गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध तथा त्रुटिहीन एवं तथ्यपरक विवेचना किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके साथ ही आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में भी इसकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जाती रही है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत निर्देशों का सही ढंग से अनुपालन नही किया जा रहा है। समयबद्ध विवेचना न किये जाने के कारण पुलिस को न्यायपालिका, मीडिया एवं अन्य स्रोतों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विवेचनाओं के विधिक परीक्षण की परम्परा समाप्त होती जा रही है, जिससे सही विवेचना न होने से अपराधों पर अंकुश लगाने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, एवं अपराधों के पर्यवेक्षण का कार्य भी काफी शिथिल हो गया है।

आप सहमत होंगे कि विवेचनाओं में अनावश्यक रूप से बरती जा रही लापरवाही से जहॉ विवेचना की गुणवत्ता में कमी आ रही है वही अपराधियों को न्यायालय में सजा दिलाने का प्रतिशत भी कम हो रहा है। अपराधियों के प्रति कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु समय-समय पर मुख्यालय स्तर से उपरोक्त के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में सम्यक् विचारोपरान्त विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब को रोकने, समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयावधि में गुण-दोष के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण किये जाने हेतु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ बिन्दु निम्नवत हैं : -

- जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें कि विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब न किया जाये। विवेचना सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाये। समय का निर्धारण सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत स्वयं किया जायेगा।
- महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध अत्यन्त गम्भीर विषय है जिस पर पुलिस को आवश्यक कार्यवाही कर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों की विवेचना व अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं उनका अनुपालन अवश्यमेव किया जाये।
- प्रायः देखा गया है कि विवेचकों द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। बलात्कार, हत्या एवं अन्य अपराधों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अधिकाधिक किया जाये।
- ऐसे अभियुक्त जिनके द्वारा महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराध किये गये हैं उनके विरूद्ध गिरोहबन्द अधिनियम, गुण्डा अधिनियम व आवश्यकतानुसार वर्णित अन्य अधिनियमों के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अवश्य हो जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हों।

- अत्यन्त खेदजनक है कि अभी भी दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम 2013 व बच्चों से सम्बन्धित एवं उत्पीड़न अधिनियम 2012(POSCO) की धाराओं का प्रयोग अभियोग पंजीकरण के समय नही किया जा रहा है।
- पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराध की सूचना थाने पर पंजीकृत होने के उपरान्त उन्हे विशेष आख्या अपराध मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना प्रेषित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।
- किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध(Special Report Case) की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता एवं समयबद्ध से किये जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुए विवेचक का सही मार्गदर्शन किया जाये जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके और अपराधियों को दण्डित कराया जा सके।
- समस्त क्रमागत आख्याओं का अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा किया जाये जैसा कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु कतिपय जनपदों में अभी भी इसका अनुपालन नही किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने हाथ से विशेष आख्या अपराध नही लिखे जा रहे हैं और न ही विवेचनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण ही किया जा रहा है।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न ही विवेचक का यथोचित मार्गदर्शन किया जा रहा है और न ही स्तरहीन विवेचनाओं पर कोई आपत्ति प्रकट की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विशेष अपराध की श्रेणी में आने वाले सभी प्रकार के अपराधों की पत्रावलियॉ पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक(उन अभियोगों में, जिनके विवेचक राजपत्रित अधिकारी हैं) द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी तथा विवेचक का सही मार्गदर्शन करने हेतु यथोचित निर्देश दिये जायें। समस्त क्रमागत आख्याओं का प्रतिमाह अनुमोदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद द्वारा ही किया जायेगा । इसी प्रकार परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा भी अपने कार्यालय में विशेष आख्या अपराध की पत्रावलियॉ खोलकर नियमित रूप से प्रत्येक माह विशेष आख्या अपराधों का अनुश्रवण करते हुए अधीनस्थों को समुचित दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधि0/कर्म0 को दण्डित किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण करने वाले उच्च अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पर प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

भवदीय

15.6.15

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।